चोल प्रशासन

चोल संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी शासन व्यवस्था है। चोल सम्राटों ने एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें प्रबल केन्द्रीय नियंत्रण के साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता (Local autonomy) भी थी।

चोल शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। साम्राज्य की सम्पूर्ण शक्ति का स्रोत राजा था। राजपद वंशानुगत था तथा ज्येष्ठाधिकार का सिद्धान्त प्रचलित था। किंतु कभी-कभी अधिक योग्यता के आधार पर छोटे पुत्र को भी युवराज मनोनीत किया जाता था। चोल नरेश काफी शक्तिशाली था, सारी शक्तियाँ उसके हाथों में केन्द्रित थी, किंतु वह स्वेच्छाचारी नहीं था। ऊँचे पदाधिकारी, सलाहकार, धर्मशास्त्र, स्थानीय प्रशासन की परम्परायें आदि राजा पर अंकुश का कार्य करते थे। चोल प्रशासन में राजगुरु की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वह राजा का विश्वासपात्र एवं पापमोचक होने के साथ-साथ समस्त सांसारिक मामलों में प्रमुख सलाहकार होता था।

यद्यपि चोल अभिलेखों में किसी नियमित मंत्रिमण्डल का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु राजनीतिक मामलों पर विचार-विमर्श के लिये कुछ अधिकारी होते थे जो उडनकूट्टम कहलाते थे। चोल अभिलेखों में पदाधिकारियों के दो प्रवर्गों का पता चलता है - उच्चतर प्रवर्ग पेरुन्दनम तथा कनिष्ठ प्रवर्ग शेरुन्दनम। जहाँ तक पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उसके लिये आवश्यक अर्हता का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। किंतु यह पता चलता है कि अधिकारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दी जाता था। चोल अभिलेखों में जीविता एवं भोग जैसे भूधारण संबंधी शब्दों के उल्लेख इसकी पुष्टि करते हैं।

प्रशासन की सुविधा के लिये विशाल चोल साम्राज्य छः प्रान्तों में विभक्त था जो मण्डलम् कहलाता था। मंडलम् का शासन वायसराय के हाथ में होता था जो प्रायः राजकुमार होते थे। प्रत्येक मंडलम् वलनाडु में विभक्त था। वलनाडु आज के कमिश्नरी के सदृश था। वलनाडु नाडु में विभक्त था तथा नाडु के नीचे कुर्रम जैसी प्रशासनिक इकाइयां थी जो कई गाँवों के समूह थे तथा अलग अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाने जाते थे। गाँव या ग्राम

प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी।

चोल प्रशासन के अन्तर्गत उसका ग्राम प्रशासन अपनी स्वायत्तता के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। इस काल में विकसित होने वाली ग्राम स्वायत्तता के पीछे आधारभूत मान्यता यह थी कि प्रत्येक गाँव का शासन स्वयं ग्रामीणों द्वारा होनी चाहिए।

उत्तरमेरूर से प्राप्त परान्तक प्रथम कालीन दो अभिलेखों (९१९ ई. एवं ९२१ ई.) से ग्राम प्रशासन के गठन एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में काफी जानकारी मिलती है। इनके अनुसार ग्राम प्रशासन की बागडोर ग्राम सभा तथा उनके द्वारा गठित विभिन्न कार्यकारिणी समितियों के हाथ में होती थी। मोटे तौर पर तीन प्रकार के गाँवों की जानकारी मिलती है। प्रथम श्रेणी में वे गाँव थे जिसमें सभी जाति के लोग रहते थे तथा उनके ग्राम सभा को उर कहा जाता था। दूसरे प्रकार के गाँव वे थे जहाँ सिर्फ ब्राह्मण रहते थे, उनके ग्राम संगठन को सभा या महासभा कहा जाता था। तीसरे प्रकार के गाँवों में मुख्य रूप से विभिन्न शिल्पों, व्यवसायों अथवा पेशों से जुड़े लोग रहते थे तथा उनके ग्राम सभा को नगरम कहा जाता था। बड़े गाँवों में एक से अधिक उर अथवा सभा हो सकते थे।

ग्राम सभा गाँव के समस्त वयस्क लोगों का संगठन था तथा इनके बीच से ही कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। मिश्रित आबादी वाले ग्राम सभा उर द्वारा कार्यकारिणी समिति गठित करने तथा उनके कार्यों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। ऐसा लगता है ग्राम सभा के सदस्य अपनी सहमति देकर कार्यकारिणी समिति का गठन करते है।

किंतु ब्राह्मण गाँवों की ग्राम सभा एवं कार्यकारिणी समिति के सम्बन्ध में उत्तरमेरूर अभिलेख से काफी कुछ जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ की ग्राम सभा, ग्राम प्रशासन की देखरेख के लिए पाँच कार्यकारिणी समितियों का गठन किया था। समिति के सदस्यों के चुनाव के लिये मंदिर के प्रांगण में ग्राम सभा की बैठक बुलायी जाती थी। इसके लिये पूरे गाँव को 30 वार्डों में बाँटा गया तथा प्रत्येक वार्ड से लॉटरी के आधार पर एक-

एक सदस्य चुना गया। इस तरह चुने गये सदस्यों से कार्यकारिणी समिति गठित की गयी।

इनु अभिलेखों में उम्मीदवारों की अर्हताओं की भी चर्चा की गयी है। इसके अनुसार केवल वही व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है जिसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच में हो, पिछले तीन वर्षों में वह किसी समिति का सदस्य न रहा हो, उसपर पिछले हिसाब-किताब में कोई गड़बड़ी का आरोप न हो, अपनी भूमि पर आवास हो, 1/4 वेलि भूमि हो तथा मंत्र एवं ब्राह्मण का ज्ञान रखता हो, 1/8 वेलि भूमि वाला भी उम्मीदवार हो सकता है यदि उसे वेद, एक ब्राह्मण कंठस्थ हो, उसपर कोई नैतिक व्याभिचार का आरोप न हो एवं पाँच महापापों में से पहले चार का आरोप न हो (ब्रह्महत्या, चोरी, मदिरापान, व्याभिचार एवं अपराधियों की संगति)। उत्तरमेरुर अभिलेखों से चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में भी जानकारी मिलती है। चुनाव के लिये प्रत्येक वार्ड के सभी उम्मीदवारों के नाम की पर्चियां लिखी जाती थी तथा उनका एक पैकेट बनाया जाता। इस तरह कुल 30 वार्डों के 30 पैकेट बनाये जाते तथा उन्हें एक घड़े में रखा जाता। इसके बाद एक अबोध बालक से घड़े से एक पॉकेट निकालने को कहा जाता। फिर बालक उस पैकेट से एक पर्ची निकालता था। अब पर्ची में लिखे नाम को सार्वजनिक किया जाता था तथा वही व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाता था। इस तरह समितियों का गठन होता था। ये समितियाँ थीं —

- तोटा वारियम (उपवन समिति)
- एरि वारियम (तालाब समिति)
- पोन वारियम (स्वर्ण समिति)
- पंच वारियम (पंचवर समिति)
- संवत्सर वारियम (वार्षिक समिति)

इन समितियों के सदस्यों की सेवा अवैतनिक थी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता था। जहाँ तक ग्राम प्रशासन के कार्यों का सवाल है वह ग्रामीण स्तर के समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायित्वों का निर्वहन करती थी। उदाहरण स्वरूप वह गाँव में शांति व्यवस्था बनाये रखना, छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा, कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी, सारे गाँव का भूराजस्व वसूलने का कार्य, अपराध के लिए दंड देने का काम

सड़क निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था इत्यादि जिम्मेवारी ग्राम सभा ~~प्रधान~~ की थी। इसके अलावे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना तथा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए मंदिर, पाठशाला इत्यादि का निर्माण और देखभाल का दायित्व उन्हीं के ऊपर था। साथ ही साथ समय-समय पर गाँव में खेलकूद, नाटक, शास्त्रार्थ, प्रवचन, यज्ञ आदि का आयोजन करवाना उसी का दायित्व था। इस तरह ग्रामीण जीवन के उन्नयन के लिये ग्राम सभा निरंतर प्रयत्नशील रहती थी।

आमतौर पर सरकारी अधिकारी सलाहकार एवं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते थे किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे - आंतरिक मतभेद, हिसाब किताब में गड़बड़ी, आपसी झगड़े अथवा अपराध की स्थिति में सरकारी हस्तक्षेप होता था अन्यथा ग्राम सभा स्वायत्त थी।

चोल साम्राज्य में आय के अनेक साधन थे। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूराजस्व था। भूराजस्व का निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि के वर्गीकरण हेतु समय-समय पर भू-सर्वेक्षण, वर्गीकरण तथा भूमि की नाप-जोख की जाती थी। भूमिकर का निर्धारण सामान्यतः भूमि की उर्वरता एवं फसलचक्र को ध्यान में रखकर की जाती थी। अभिलेखों में भूराजस्व की वास्तविक दर का संकेत नहीं मिलता परंतु संभवतः उपज का 1/3 हिस्सा भूमिकर के रूप में लिया जाता था जो नकद या अन्न के रूप में लिया जाता था। लगान ग्राम सभा वसूल कर उसे केन्द्रीय राजस्व कोष में जमा करती थी। भूराजस्व नहीं चुकाने वाले की भूमि जब्त कर ली जाती थी। कृषि के अलावे सीमा शुल्क, व्यापार एवं वाणिज्य कर इत्यादि राजकीय आमदनी के महत्वपूर्ण स्रोत थे।

चोल अभिलेखों से एक शक्तिशाली सैन्य संगठन की भी जानकारी मिलती है। चोलों के पास हस्तिसेना, अश्वसेना एवं पैदल सेना के अलावे एक सुगठित नौसेना भी थी। राजराज और राजेन्द्र चोल के काल में तो चोल नौसेना इतनी ताकतवर हो चली गयी थी कि बंगाल की खाड़ी को 'चोलों का झील' कहा जाने लगा था। चोल नरेशों की एक अंगरक्षक टुकड़ी भी होती थी जो अपनी प्राणों की बाजी लगाकर भी राजा की सुरक्षा करते थे। चोल अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों पर सैनिक छावनियाँ भी स्थापित की जाती थी। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को 'क्षत्रिय शिखामणि' की उपाधि दी जाती थी। सैनिकों के प्रशिक्षण एवं

राजराज I एवं कुलोत्तुंग I के शासनकाल में सम्पूर्ण भूमि का सर्वेक्षण एवं पैमाइश हुई थी। भूमि का स्वामित्व निर्धारण हुआ था। भूमि कर श्रेणियों में विभाजित था।

अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। केन्द्रीय सेना के अलावे सामन्तों, व्यापारिक श्रेणियों एवं अन्य प्रकार की स्थानीय सैनिक टुकड़ियाँ भी थीं जिन्हें राज्य आवश्यकतानुसार उपयोग करता था।

चोल अभिलेखों से उनके न्याय व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। मुकदमों पर प्रारंभिक निर्णय देने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त था। विवादों का अन्तिम निर्णय धर्मस्थ न्यायालय अर्थात् राजदरबार में होता था। चोलों की दंडव्यवस्था उदार थी। हत्या जैसे जघन्य अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराधों में आर्थिक दंड अथवा सामाजिक अपमान करने का दंड दिया जाता था। जानबूझ कर निर्मम हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को अंगच्छेद, मृत्युदंड अथवा आजन्म कारावास की सजा भोगनी पड़ती थी। मृत्युदंड प्रायः हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर प्रदान किया जाता था।

इस तरह हम देखते हैं कि चोल नरेशों ने एक सुव्यवस्थित एवं मजबूत प्रशासनतंत्र का निर्माण किया और इसके द्वारा विघटनकारी शक्तियों को काबू में रखा। यही कारण है कि चोल साम्राज्य लम्बे समय तक अपना अस्तित्व बनाये रखने में सफल रहा।

-o-